



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

576

सेवा में

सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,
हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक एफ.जी.1-2020/6161
दिनांक, चण्डीगढ़ 08.04.2020

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बी.पी.एल. व ए.ए.वाई परिवारों को Iodised salt मुफ्त में वितरण करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस संबंध में वर्णन किया जाता है कि COVID-19 के मध्यनजर सरकार द्वारा प्रदेश में सभी बी.पी.एल. व ए.ए.वाई परिवारों को अप्रैल माह में एक किलो Iodised salt मुफ्त में वितरण करने का निर्णय लिया गया है। जिसके संदर्भ में कान्फैड जोकि खाद्य एवं पूर्ति विभाग का wholesale nominee है, द्वारा मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए वर्तमान में हरियाणा राज्य में लगभग 11.25 लाख बी.पी.एल. परिवारों के लिए एक किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से 1125 MT Iodized salt की पूर्ति हेतु नैफेड को order place किया है।(प्रति संलग्न) अतः कान्फैड से प्राप्त पत्र दिनांक 08.04.2020 की प्रति आपको भेजते हुए मास अप्रैल, 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एक किलोग्राम Iodised salt मुफ्त में करने हेतु आपको आपको निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. नमक की आपूर्ति नैफेड द्वारा जिला के फोकल प्वाइंट पर दी जायेगी।
2. नमक का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से किया जाएगा। डिपो धारकों तक नमक की आपूर्ति CONFED के परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह की जाएगी।
3. सभी बी.पी.एल.(BPL) एवं ए.ए.वाई.(AAY) परिवारों को नमक का वितरण एक किलोग्राम प्रति कार्ड के हिसाब से फ्री किया जाएगा।
4. सभी जिला नियंत्रक नमक की जो ऐलोकेशन कान्फैड द्वारा जिलों को की गई है उसे सभी डिपो धारकों पर दर्ज राशन कार्डों के अनुसार ऐलोकेशन करके 2 दिन के अन्दर-अन्दर मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। AePDS में नमक को Incorporate करने से सम्बन्धित सभी Supply chain management activities के बारे में मुख्यालय की आई.टी सैल से सम्पर्क करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें जैसा कि पूर्व में PoS के माध्यम से Onion के वितरण के समय की गई थी।
5. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों को नमक का वितरण विक्री यंत्रों में की गई वर्तमान व्यवस्था अनुसार डिपोधारकों के माध्यम से किया जाये तथा वितरण में किराी प्रकार की अनियमितता न की जाये।
इसे अति आवश्यक समझा जाये।

NCO
24/20
अतिरिक्त निदेशांक/...

577

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, REWARI

Endst. : 6595-99/COVID-19

Dated : 10-04-2020

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action, please:

1. District Food & Supplies Controller, Rewari
2. ADIO, NIC, Rewari.
3. Stenographer to D.M., Rewari.
4. Steno to CTM, Rewari.

Sanjeev
10/04/2020
Sanjeev Kumar, H.C.S
City Magistrate,
for District Magistrate,
Rewari.